FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुवालाल वगै0 बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बर- 85/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.06.2023	प्रार्थीगण की ओर से श्री कमलेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामील दिनांक 30.06.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
30-6-23	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वास्ते बइन्तजार नोटिस तामील अप्रार्थी पत्रावली दिनांक 12-7-2023 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। Raj	
12.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी का नोटिस तामील होकर नहीं लौटी है। उक्त प्रकरण में उपस्थित प्रार्थीगण के सह खातेदार दिनेश कुमार सैनी पुत्र अर्जून लाल सैनी, बाबूलाल पुत्र दौलाराम, बिरदीचन्द पुत्र दोलाराम, चौथमल सैनी पुत्र दोलाराम ने पीठासीन अधिकारी को उक्त गलत नामों के बारे में विस्तार से [illegible] तथा मृत्तक सेडू के वारिसान् व मृत्तक फत्ता व [illegible] के वारिसान के बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की जाकर प्रार्थना पत्र की पुष्ठ पर उक्त सजरा अंकित —लगातार—	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh

Date: 2023.07.27 10:18:45 IST

Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	किया गया। उक्त उपस्थित मौतबिरान् की पहचान प्रार्थीगण वकील श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 के द्वारा की गई। उक्त मौतबिरान से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निरस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
89 / 2023	2023 / 642	09.06.2023	12.07.2023

उनवान प्रकरण

1. सुवालाल पुत्र स्वर्गीय नाथूराम
2. किशोर पुत्र स्वर्गीय भीखाराम आयु 45 साल
3. बिडदीचन्द पुत्र स्वर्गीय दोलाराम आयु 55 साल

समस्त जाति सैनी – माली निवासी बडी ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— प्रार्थीगण——

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— अप्रार्थी ——

उपस्थितः–

श्री कमलेश कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधि0</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा भू0अभि0नि0 क्षैत्र झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 98 मी, 99 मी, 102, 97 है। जिसके भू–अभिलेख राजस्व रिकार्ड भु–प्रबन्ध विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 में परसा, श्योनाथ पि. सेडू दर्ज है एवं पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खातेदारी में परसा, श्योनाथ पि. सेडू ही दर्ज चला आ रहा हैं एवं भू–अभिलेख राजस्व रिकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग जमाबंदी में खातेदारी नाथूराम, दोलाराम, जोधाराम, भीखाराम पि. परसा 1/4 श्योनारायण पुत्र सेडू 1/4 दर्ज कर दिया गया। जिसमें नाथूराम, दोलाराम, भीखाराम के पिता का नाम परसा राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण दर्ज कर दिया गया एवं श्योनाथ पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनारायण पुत्र सेडू दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविकता यह है कि भीखाराम, दोलाराम, नाथूराम, के पिता का नाम श्योनाथ हैं एवं इनके मृत्यु प्रमाण पत्रों में भी इनके पिता का नाम श्योनाथ ही अंकित हैं एवं वास्वविक रूप से श्योनाथ पुत्र सेडू ही हैं तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भीखाराम को भींवाराम दर्ज कर दिया गया हैं। जिसके कारण इनके वारि[illegible]करण खुलवाने में परेशानी आ रही हैं एवं प्रार्थीगण को सख्त [illegible] भूमि खसरा नम्बर 10, 3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

12/07/21

3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता–8 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भींवाराम पुत्र परसा के स्थान पर भीखाराम पुत्र श्योनाथ एवं दोलाराम पुत्र परसा के स्थान पर दोलाराम पुत्र श्योनाथ एवं नाथूराम पुत्र परसा के स्थान पर नाथूराम पुत्र श्योनाथ एवं श्योनारायण पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनाथ पुत्र सेडू दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भींवाराम पुत्र परसा के स्थान पर भीखाराम पुत्र श्योनाथ एवं दोलाराम पुत्र परसा के स्थान पर दोलाराम पुत्र श्योनाथ एवं नाथूराम पुत्र परसा के स्थान पर नाथूराम पुत्र श्योनाथ एवं श्योनारायण पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनाथ पुत्र सेडू दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान करने का निवेदन प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी पालना वकील प्रार्थी द्वारा नहीं की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता के पिता अर्थात दादा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर उक्त प्रकरण में उपस्थित प्रार्थीगण के सह खातेदार दिनेश कुमार सैनी पुत्र अर्जून लाल सैनी, बाबूलाल पुत्र दौलाराम, बिरदीचन्द पुत्र दोलाराम , चौथमल सैनी पुत्र दोलाराम ने पीठासीन अधिकारी को उक्त गलत नामों के बारे में विस्तार से बताया तथा मृत्तक सेडू के वारिसान् व मृत्तक फूला व श्योनाथ के वारिसान् के बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की जाकर प्रार्थना पत्र की पृष्ठ पर उक्त सजरा अंकित किया गया। उक्त उपस्थित मौतबिरान् की पहचान प्रार्थी वकील श्री कमलेश कुमार शर्मा प्रथम एड0 के द्वारा की गई। इसी दौरान वकील प्रार्थीगण ने दिनांक 07.07.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि दोलाराम पुत्र परसा, नाथूराम पुत्र परसा, भीखाराम पुत्र परसा दर्ज है जबकि वास्तविकता में परसा के दो पुत्र काना पुत्र परसा व गीगा पुत्र परसा है तथा श्योनारायण पुत्र सेडू का सही नाम श्योनाथ पुत्र सेडू होने से उसी अनुसार विचाराधीन प्रार्थना पत्र में दोलाराम पुत्र परसा, नाथूराम पुत्र परसा व भीखाराम पुत्र परसा के स्थान पर काना पुत्र परसा व गीगा पुत्र परसा व श्योनारायण पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनाथ पुत्र सेडू दर्ज किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरणानुसार एंव उक्त मौतबिरान से प्राप्त की गई जानकारी अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

12/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, आमागोपा

पुत्र सेडू 1/4 दर्ज कर दिया गया जिसमें

हमनें वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी जमाबन्दीयॉ सम्वत् 2012, 2018 से 2021, 2030 से 2033 व मिलान क्षेत्रफल, तीन मृत्यु प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉ, अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम थोई की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रामपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भींवाराम पुत्र परसा, दोलाराम पुत्र परसा, नाथूराम पुत्र परसा व श्योनारायण पुत्र सेडू का नाम गलत इन्द्राज होना प्रकट होता है। जिनके सही नाम दोलाराम पुत्र परसा, नाथूराम पुत्र परसा व भीखाराम पुत्र परसा के स्थान पर काना पुत्र परसा व गीगा पुत्र परसा व श्योनारायण पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनाथ पुत्र सेडू दुरूस्त किया जाना उक्त मौतबिरान से प्राप्त की गई जानकारी एंव उपस्थित मौत बिरान ने भी अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर सहमति बतौर किये गये हस्ताक्षर एंव अनापत्ति के आधार पर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के द्वारा चाही गई वांछित शुद्धि राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा भू0अभि0नि0 क्षैत्र झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 10, 3, 3/7782, 4, 5, 6, 7, 8 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भींवाराम पुत्र परसा, दोलाराम पुत्र परसा, नाथूराम पुत्र परसा, भीखाराम पुत्र परसा के स्थान पर काना पुत्र परसा, गीगा पुत्र परसा एवं श्योनारायण पुत्र सेडू के स्थान पर श्योनाथ पुत्र सेडू के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर शुद्ध किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:45 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)